राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1383/2023

घनश्याम सिंह (कर्मचारी आई.डी.– आरजेबीपी198907002017)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.05.2023
आदेश की दिनांक : 08.05.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी व्याख्याता, राजनीतिक विज्ञान के पद पर उटारदा, नदबई, जिला भरतपुर में कार्यरत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी व्याख्याता के पद पर वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध विभागीय पदोन्नति समिति अभिशंषानुसार चयनित किया गया है, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 26.08.2015 को उक्त पद पर भरतपुर जिले में कार्यग्रहण किया। उनका आगे तर्क है कि निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के पद से उप–प्राचार्य पद पर डीपीसी वर्ष 2022–23 की अस्थाई पात्रता सूची जारी की गई थी, जिसमें अपीलार्थी का नाम तथा वरिष्ठता क्रमांक और वरिष्ठता वर्ष 2015–16 अंकित था। लेकिन बाद में निदेशालय के प्रासंगिक आदेश द्वारा डीपीसी वर्ष 2022–23 हेतु उप–प्राचार्य एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति हेतु जारी चयन सूची में अपीलार्थी का चयन नहीं किया गया है, जबकि अपीलार्थी ने कनिष्ठ

व्याख्याताओं को उप–प्राचार्य पद की डीपीसी वर्ष 2022–23 हेतु चयन किया गया है, जो कि नियमानुसार नहीं है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)